

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली



राजपत्र

Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 2] दिल्ली, जनवरी 9—जनवरी 15, 2009, बृहस्पतिवार/पौष 19—पौष 25, 1930 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 285, 293]
 No. 2] DELHI, JANUARY 9—JANUARY 15, 2009, THURSDAY/PAUSA 19—PAUSA 25, 1930 [N.C.T.D. No. 285, 293]

भाग—IV

PART—IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं
 Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
 Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

आदेश

दिल्ली, 6 जनवरी, 2009

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING
REVENUE AUTHORITY

ORDERS

Delhi, the 6th January, 2009

फा. सं. 10(423)/मु. स. (मुख्या)/स. शु./08/2587.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री वास्सरटेन एडवार्ड्स इंडिया प्रा.लि., दूसरी मंजिल, 21-22, कृष्णा नगर, सफदरजंग इन्क्लेव, नई दिल्ली-110029, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,44,70,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 14,57,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 14,470 (रुपये चौदह हजार चार सौ सत्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(423)/COS (HQ)/Cons. Duty/08/2587.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Wassertein Advisors India Private Limited, 2nd Floor, 21-22, Krishna Nagar, Safdarjung Enclave, New Delhi -110029 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 14,470 (Rs. Fourteen Thousand Four Hundred Seventy) on the aggregate value of shares of Rs. 1,44,70,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 10,001 to 14,57,000 be issued by the said company.

दिल्ली, 12 जनवरी, 2009

सं. फा. 10(437)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/2678.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इन्डो-गल्फ डाइग्नोस्टिक्स एण्ड रिसर्च सेंटर प्रा. लि., 1/1 बी, पहली मंजिल जंगपुरा-बी, नई दिल्ली-110014, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 30,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 9,84,126 से 17,34,125 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 3,00,000 (रुपये तीन लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 12th January, 2009

F. No. 10(437)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2678.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Indo-Gulf Diagnostics and Research Centre Pvt. Ltd., 1/1B, 1st Floor, Jangpura-B, New Delhi -110014 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 3,00,000 (Rs. Three Lac) on the aggregate value of shares of Rs. 30,00,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 9,84,126 to 17,34,125 be issued by the said company.

फा. सं. 10(438)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/2679.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री डीएलए इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा.लि., सी-106, इन्द्रपुरी, नई दिल्ली-110012 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 25,50,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयर जिनकी पृथक संख्या 1,49,10,001 से 2,00,10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 2,55,000 (रुपये दो लाख पचपन हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(438)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2679.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. DLA Infrastructures Private Limited, C-106, Inderpuri, New Delhi-110012 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2,55,000 (Rs. Two Lac Fifty Five Thousand) on the aggregate value of shares of Rs. 25,50,00,000 for equity

share certificates with distinctive Nos. 1,49,10,001 to 2,00,10,000 be issued by the said company.

फा. सं. 10(439)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/2680.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री बल्यू बर्ड होटल्स प्रा.लि., 106, बाबर रोड, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 33,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 8,46,725 से 9,06,724 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 3,300 (रुपये तीन हजार तीन सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(439)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2680.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Blue Bird Hotels Private Limited, 106, Babar Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 3,300 (Rs. Three Thousand Three Hundred) on the aggregate value of shares of Rs. 33,00,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 8,46,725 to 9,06,724 be issued by the said company.

फा. सं. 10(455)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/2683.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री होमक्स इंडिया प्रा.लि. 134/4, 5 जमरूदपुर, लाला लाजपत राय मार्ग, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली-110048 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 43,42,54,230 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,318 से 4,34,35,740 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 4,34,255 (रुपये चार लाख चौतीस हजार दो सौ पचपन) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(455)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2683.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Homex India Private Limited, 134/4, 5, Zamrudpur, Lala Lajpat Rai Marg, Kailash Colony, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 4,34,255 (Rs. Four Lac Thirty Four Thousand Two Hundred Fifty Five) on the aggregate value of shares of Rs. 43,42,54,230 for equity

share certificates with distinctive Nos. 10,318 to 4,34,35,740 be issued by the said company.

सं. फा. 10(443)/मुसं. (मुख्या)/स.शु./08/2684.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स आईशर गुडार्थ प्रा.लि. 12, कमर्शियल कम्प्लेक्स, ग्रेटर कैलाश-2, (मस्जिद मोठ), नई दिल्ली 110048, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 40,00,00,000 मूल्य के प्रिफरेंस शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 40,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 4,00,000 (रुपये चार लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(443)/COS (HQ)/Cons. Duty/08/2684.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Eicher Good Earth Private Limited, 12, Commercial Complex, Greater Kailash-II (Masjid Moth), New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 4,00,000 (Rs. Four Lac) on the aggregate value of shares of Rs. 40,00,00,000 for preference share certificates with distinctive Nos. 1 to 40,00,000 be issued by the said company.

सं. फा. 10(434)/मुसं. (मुख्या)/स.शु./08/2685.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मोजर बेयर फोटो वोलाटाइक लि., 43-बी, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट, फेस-3, नई दिल्ली 110020, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 199,30,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 8,17,79,981 से 28,10,79,980 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 19,93,000 (रुपये उन्नीस लाख तिरानवे हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(434)/COS (HQ)/Cons. Duty/08/2685.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Moser Baer Photo Voltaic Limited, 43-B, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 19,93,000 (Rs. Nineteen Lac Ninety Three

Thousand) on the aggregate value of shares of Rs. 199,30,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 8,17,79,981 to 28,10,79,980 be issued by the said company.

सं. फा. 10(445)/मुसं. (मुख्या)/स.शु./08/2686.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री आईएफसीआई लि., आईएफसीआई टावर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110019, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 40,97,00,000 मूल्य के टेक्सटबल रिडिमेबल, नन कनवर्टीबल, बोण्डस जो कि प्रोमिजरी नोट के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 2009001634 से 2009005730 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 5,28,500 (रुपये पांच लाख अठाइस हजार पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(445)/COS (HQ)/Cons. Duty/08/2686.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. IFCI Limited, IFCI Tower, 61 Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 5,28,500 (Rs. Five Lac Twenty Eight Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of Rs. 40,97,00,000 for taxable redeemable non-convertible bonds in the nature of promissory note with distinctive Nos. 2009001634 to 2009005730 to be issued by the said company.

सं. फा. 10(450)/मुसं. (मुख्या)/स.शु./08/2687.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री कुरारे इंडिया प्रा. लि., यूनिट नं. 207 बी, दूसरी मंजिल, रेक्टेंगल-1, डी-4, डिस्ट्रीक सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली 110017, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 3,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 30,10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 30,000 (रुपये तीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(450)/COS (HQ)/Cons. Duty/08/2687.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Kuraray India

Private Limited, Unit No. 207-B, 2nd Floor, Rectangle-I, D-4, District Centre, Saket, New Delhi-110017 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 30,000/- (Rs. Thirty Thousand) on the aggregate value of shares of Rs. 3,00,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 10,001 to 30,10,000 be issued by the said company.

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2009

सं. फा. 10(449)/मु.सं. (मुख्या)/स.शु./08/2701.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री वन 97 कम्युनिकेशन प्रा. लि., पहली मंजिल, देविका टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110019, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 48,00,00,054 मूल्य के कम्लसरी कन्वर्टीबल सीरीज बी प्रिफरेंस शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 27,58,621 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 4,80,001 (रुपये चार लाख अस्सी हजार एक) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 13th January, 2009

No. F. 10(449)/COS (HQ)/Cons. Duty/08/2701.—
In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. One 97 Communications Private Limited, 1st Floor, Devika Tower, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 4,80,001/- (Rs. Four Lac Eighty Thousand One) on the aggregate value of shares of Rs. 48,00,00,054 for Series 'B' compulsorily convertible preference shares certificates with distinctive Nos. 1 to 27,58,621 be issued by the said company.

सं. फा. 10(453)/मु.सं. (मुख्या)/स.शु./08/2707.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सिन्डा इंजिनियरिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. बी-92, हिमालय हाउस, नौवीं मंजिल, 23 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली 110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 4,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 00001 से 40,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 40,000 (रुपये चालीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(453)/COS (HQ)/Cons. Duty/08/2707.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. CINDA Engineering & Construction Private Limited, B-92, Himalaya House, 9th Floor, 23 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 40,000 (Rs. Forty Thousand) on the aggregate value of shares of Rs. 4,00,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 00001 to 40,00,000 be issued by the said company.

सं. फा. 10(444)/मु.सं. (मुख्या)/स.शु./08/2708.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स टेनमार्क्स सॉफ्टवेयर प्रा. लि., एफ-170, सैनिक फार्मस, (डब्ल्यू 5 सी लेन), खानपुर, नई दिल्ली 110062 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 1,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(444)/COS (HQ)/Cons. Duty/08/2708.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Tenmarks Software Private Limited, F-170, Sainik Farms (W 5C Lane), Khanpur, New Delhi-110062 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 100 (Rs. One Hundred) on the aggregate value of shares of Rs. 1,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 1 to 1,00,000 be issued by the said company.

सं. फा. 10(456)/मु.सं. (मुख्या)/स.शु./08/2709.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री प्रेक्योर फार्मास्युटिकल्स लि., 107, मेगनम हाउस-1, करमपुरा काम्प्लैक्स, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली 110015, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,41,20,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 25,02,001 से 39,14,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 14,120 (रुपये चौदह हजार एक सौ बीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(456)/COS (HQ)/Cons. Duty/08/2709.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Gracure Pharmaceuticals Limited, 107, Magnum House-I, Kampura, Complex, Shivaji Marg, New Delhi-110015 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 14,120/- (Rs. Fourteen Thousand One Hundred Twenty) on the aggregate value of shares of Rs. 1,41,20,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 25,02,001 to 39,14,000 be issued by the said company.

सं. फा. 10(392)/मु. स. (मुख्या)/स. शु./08/2713.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री बंसल क्रेडिट्स लि. 1, अंसारी रोड, दूसरी मंजिल, दरियागंज, नई दिल्ली 110002 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 40,56,000 मूल्य के सेक्योर्ड, रिडिमेबल, नन कनवर्टीबल, डिबेन्चर सीरीज 'सी' जिनकी पृथक संख्या 18776 से 22831 है, पर लगाने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 4056 (रुपये चार हजार छप्पन) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(392)/COS (HQ)/Cons. Duty/08/2713.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Bansal Credits Limited, 1, Ansari Road, 2nd Floor, Daryaganj, New Delhi-110002, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 4056 (Rs. Four Thousand Fifty Six) on the aggregate value of debentures of Rs. 40,56,000 for issue of Secured redeemable Non Convertible debentures Series 'C' bearing distinctive No. 18776 to 22831 to be issued by the said company.

सं. फा. 10(391)/मु. स. (मुख्या)/स. शु./08/2714.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स बंसल क्रेडिट्स लि. 1, अंसारी रोड, दूसरी मंजिल, दरियागंज, नई दिल्ली 110002 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,87,75,000 मूल्य के सेक्योर्ड, रिडिमेबल, नन कनवर्टीबल, जो कि डिबेन्चर सीरीज 'ए एण्ड बी' जिनकी पृथक संख्या 00001 से 18775 है, पर लगाने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 18,775 (रुपये अठ्ठारह हजार सात

सौ पिछहत्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(391)/COS (HQ)/Cons. Duty/08/2714.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Bansal Credits Limited, 1, Ansari Road, 2nd Floor, Daryaganj, New Delhi-110002, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 18,775 (Rs. Eighteen Thousand Seven Hundred Seventy Five) only on the aggregate value of debentures of Rs. 1,87,75,000 for issue of Secured redeemable Non Convertible debentures Series 'A' & 'B' bearing distinctive No. 00001 to 18,775 to be issued by the said company.

सं. फा. 10(442)/मु. सं. (मुख्या)/स. शु./08/2715.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स ओरिजीन बायोटेक प्रा. लि. सी-92, जीवन पार्क, नई दिल्ली 110059 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयर्स जिनकी पृथक संख्या 1 से 10,000 है, पर लगाने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(442)/COS (HQ)/Cons. Duty/08/2715.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Origin Biotech Private Limited, C-92, Jeewan Park, New Delhi-110059 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 100 (Rs. One Hundred) on the aggregate value of shares of Rs. 1,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 1 to 10,000 be issued by the said company.

सं. फा. 10(441)/मु. स. (मुख्या)/स. शु./08/2716.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स सिम सोल्युशंस प्रा. लि. सी-9, बेसमेन्ट, न्यू कृष्णा पार्क, विकासपुरी, नई दिल्ली 110018 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयर्स जिनकी पृथक संख्या 1 से 10,000 है, पर लगाने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(441)/COS (HQ)/Cons. Duty/08/2716.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Sim Solutions Private Limited, C-9, Basement, New Krishna Park, Vikas Puri, New Delhi-110018 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 100 (Rs. One Hundred) on the aggregate value of shares of Rs. 1,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 1 to 10,000 be issued by the said company.

सं. फा. 10(431)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/2717.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स नेतामबीट इन्फोसोर्स एण्ड इ सर्विसज प्रा. लि., ए-410, पहली मंजिल, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली-110024 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 5,00,00,000 मूल्य के प्रिफरेंस शेयरों फुल्ली कन्वर्टीबल शेयरों सीरीज ए जिनकी पृथक संख्या पी 001 से पी 5000000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 50,000 (रुपये पचास हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(431)/COS (HQ)/Cons. Duty/08/2717.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Netambit Infosource and E Services Private Limited, A-410, First Floor, Defence Colony, New Delhi-110024 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 50,000 (Rs. Fifty Thousand) on the aggregate value of shares of Rs. 5,00,00,000 for fully convertible series 'A' preference share certificates with distinctive Nos. P001 to P 5000000 be issued by the said company.

सं. फा. 10(451)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/2718.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स सैक्मिड टेलीकॉम इंडिया प्रा. लि., 51, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट, फेस-3, नई दिल्ली-110020 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,02,98,580 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 36,07,659 से 46,37,516 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 10,299 (रुपये दस हजार दो सौ नानावे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F.No. 10(451)/COS (HQ)/Cons. Duty/08/2718.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Schmid Telecom India Private Limited, 51, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 10,299 (Rs. Ten Thousand Two Hundred Ninety Nine) on the aggregate value of shares of Rs. 1,02,98,580 for equity share certificates with distinctive Nos. 36,07,659 to 46,37,516 be issued by the said company.

सं. फा. 10(432)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/2719.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स मरकाडोज एनर्जी मार्केट्स इंडिया प्रा. लि., एस-454, ग्रेटर कैलाश, पार्ट-II, नई दिल्ली-110048 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 19,14,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 4,58,851 से 6,50,250 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1914 (रुपये एक हजार नौ सौ चौदह) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(432)/COS (HQ)/Cons. Duty/08/2719.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Mercados Energy Markets India Private Limited, S-454, Greater Kailash, Part-II, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1914 (Rs. One Thousand Nine Hundred Fourteen) on the aggregate value of shares of Rs. 19,14,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 4,58,851 to 6,50,250 be issued by the said company.

सं. फा. 10(433)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/2720.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री डेनब्लाक ब्रेक्स इंडिया प्रा. लि. 16, पहली मंजिल, रिशब कॉर्पोरेट टावर, 16, कम्प्युनिटी सेन्टर, कडकडडूमा, दिल्ली-110092 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 24,05,79,300 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 5,00,001 से 29,05,793 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 2,40,580 (रुपये दो लाख चालीस हजार पांच सौ अस्सी केवल) के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(433)/COS (HQ)/Cons. Duty/08/2720.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Danblock Brakes India Private Limited, 16, 1st Floor, Rishab Corporate Tower, 16, Community Centre, Karkarduma, Delhi-110092 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2,40,580 (Rs. Two Lac Forty Thousand Five Hundred Eighty) on the aggregate value of shares of Rs. 24,05,79,300 for equity share certificates with distinctive Nos. 5,00,001 to 29,05,793 be issued by the said company.

दिल्ली, 14 जनवरी, 2009

सं. फा. 10(448)/मु. सं. (मुख्या)/स. शु./08/2728.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पीईसी लि., हंसालय, 15, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 18,00,00,000 मूल्य के बोनस इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2,00,001 से 20,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,80,000 (रुपये एक लाख अस्सी हजार) के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 14th January, 2009

F. No. 10(448)/COS (HQ)/Cons. Duty/08/2728.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. PEC Limited., Hansalaya, 15, Barakhamba Road, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,80,000 (Rs. One Lac Eighty Thousand) on the aggregate value of shares of Rs. 18,00,00,000 for bonus equity share certificates with distinctive Nos. 2,00,001 to 20,00,000 be issued by the said company.

सं. फा. 10(452)/मु. सं. (मुख्या)/स. शु./08/2729.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इनोवेटिव क्लाड सोल्यूशन्स प्रा. लि., एच-2 सुनेजा चेम्बर्स अलकनंदा कमर्शियल कम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110019 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 5,67,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 50,40,001 से 1,07,10,000 है, पर लगने वाले

मुद्रांक शुल्क रुपये 56,700 (रुपये छप्पन हजार सात सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(452)/COS (HQ)/Cons. Duty/08/2729.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Innovative Clad Solutions Private Limited, H-2, Suneja Chambers, Alaknanda Commercial Complex, New Delhi -110019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 56,700 (Rs. Fifty Six Thousand Seven Hundred) on the aggregate value of shares of Rs. 5,67,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 50,40,001 to 1,07,10,000 be issued by the said company.

सं. फा. 10(436)/मु. सं. (मुख्या)/स. शु./08/2730.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री क्रोस्टले रेमिडिज लि., ए-14, पुष्पांजली, विकास मार्ग एक्टे, नई दिल्ली 110019 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 2,40,03,020 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 3,83,16,096 से 4,07,16,397 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 24,004 (रुपये चौबीस हजार चार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(436)/COS (HQ)/Cons. Duty/08/2730.—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Crosslay Remedies Limited, A-14, Pushpanjali, Vikas Marg Extension, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 24,004 (Rs. Twenty Four Thousand Four) on the aggregate value of shares of Rs. 2,40,03,020 for equity share certificates with distinctive Nos. 3,83,16,096 to 4,07,16,397 be issued by the said company.

सं. फा. 10(430)/मु. सं. (मुख्या)/स. शु./08/2731.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इफको किसान बाजार लि. इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली 110017 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 14,91,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 90,001 से 1,50,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक

शुल्क रुपये 1,49,100 (रुपये एक लाख उनचास हजार एक सौ)
केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव

F. No. 10(430)/COS (HQ)/Cons. Duty/08/2731 :—

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E)

dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Iffco Kisan Bazar Limited, Iffco Sadan, C-1, Distt. Centre, Saket Place, New Delhi-110017 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,49,100 (Rs. One Lac Forty Nine Thousand One Hundred) on the aggregate value of shares of Rs.14,91,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 90,001 to 1,50,00,000 be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue
Authority Govt. of National Capital Territory of Delhi,

VINAY KUMAR, Jt. Secy.